10-10-21 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) की प्रति पेश की। प्रतिवादी अधि० द्वारा विवादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार राजस्व ग्राम पुर की विवादग्रस्त भूमि खसरा नं० 2596 रकबा 1.1633 है० भूमि का वादी अभिलेखित खातेदार नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53

लगातार—

सहा० क० कलेक्टर
भीलवाड़ा

online No. 2010/00008

प्रकरण सं० 74/2010

श्री राधेश्याम S/o मांगीलाल बनाम श्री श्यामा देवी W/o धीसू वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	जिसके अन्तर्गत वाद पत्र पेश किया गया है, की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुये निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत भूमि का विभाजन सह आसामियों के मध्य ही सम्भव है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के सहखातेदार नहीं होने के कारण वे वादपत्र के अनुसार बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं है। अत: वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज किया जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि वादपत्र प्रस्तुतीकरण की दिनांक को वादी राजस्व रिकॉर्ड में अभिलेखित खातेदार था, अत: इसके द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अनुरूप वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अभिलेखित किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार चलने योग्य नहीं है, अत: —लगातार—	

10/01/2014

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

वाद पत्र को खारिज किया जावे)

वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस, विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम पुर के खसरा नं० 2591 रकबा 1.1633 हे. भूमि की सम्वत् 2069-73 की जमाबंदी का अध्ययन एवं मनन किया गया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 का अध्ययन एवं मनन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस एवं प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अध्ययन एवं मनन उपरान्त हम यह उचित समझते हैं कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत विवादग्रस्त भूमि का विभाजन का वाद वादी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अभिलेखित खातेदार नहीं होने के कारण चलने योग्य नहीं है।

आदेश

वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम पुर के खसरा नं. 2591 रकबा 1.1633 हे. भूमि का वादी अभिलेखित खातेदार नहीं होने से वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली जारी हो

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर) 10/10/2020

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – अरुण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 74/2010

1-श्री राधेश्याम पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण (व्यास) तहसील व जिला भीलवाड़ा -वादी

बनाम

1- श्रीमती श्यामादेवी पत्नि घीसूलाल विश्नोई नि.पुर जमातखाना के पास तहसील व जिला भीलवाड़ा
2- श्री जमनाशंकर पुत्र मांगीलाल ब्राह्मण (व्यास) नि.व्यास काम्पलेक्स कपासन तहसील कपासन व जिला चित्तोड़गढ -विलोपित
3- श्री अनिल पुत्र शिवशंकर ब्राह्मण (व्यास) नि.उदयपुर रोड़ कपासन तहसील कपासन जिला चित्तोड़गढ
4- श्रीमती पार्वती पुत्री स्व.श्री शिवशंकर ब्राह्मण (व्यास) नि.पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
5- श्री गोपाल पुत्र श्री विष्णुशंकर ब्राह्मण (व्यास) नि.पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
6- श्रीमती नीतादेवी पत्नि विष्णुशंकर ब्राह्मण (व्यास) नि.पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
7- श्रीमती प्रभादेवी पुत्री विष्णुशंकर ब्राह्मण नि.पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
8- श्रीमती सुनिता पुत्री विष्णुशंकर पत्नि प्रमोद ब्राह्मण नि.पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
9- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा.टि.ए.बावत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सैन एवं प्रतिवादी सं.01 के अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना की उपस्थिति मे इस वाद मे आज दिनांक 10.10.2024 को अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया -

वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम पुर के खसरा नं. 2596 रकबा 1.1633 हेक्टेयर भूमि का वादी अभिलिखित खातेदार नही होने से वाद खारिज किया जाता है।। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

अरुण कुमार जैन
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा